क्र० सं०	दिनांक	आज्ञा या कार्यवाही
	17/7/25	अभय पक्ष उपस्थित / अभिभाषक संघ ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा / PO साहब अन्य प्रशासनिक कार्य मीटिंग में है। पत्रावली गत आदेशानुसार दि. 8/9/25 को पेश हो। (रीडर)
	8/9/25	अभय पक्ष उपस्थित / अभिभाषक संघ ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा / PO साहब अन्य प्रशासनिक कार्य .... है। पत्रावली गत आदेशानुसार दि. 13/11/25 को पेश हो। (रीडर)
	13/11/25	अभय पक्ष उपस्थित / अभिभाषक संघ ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा / PO साहब अन्य प्रशासनिक कार्य .... है। पत्रावली गत आदेशानुसार दि. 22/12/25 को पेश हो। (रीडर)
	22/12/25	अभय पक्ष उपस्थित / अभिभाषक संघ ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा / PO साहब अन्य प्रशासनिक कार्य .... है। पत्रावली गत आदेशानुसार दि. 6/2/26 को पेश हो। (रीडर)
अ०नि० बिमलादेवी बिमला देवी का पौत्र रोहिताश कुमार जाट 7073604439	28/1/26	मूल वाद में प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना बाबत डिक्री स्वीकार होने से मूल वाद डिक्री किया जाकर खारिज किया जा चुका है। मूल वाद खारिज होने से उक्त प्रार्थना T.I. का अब कोई औचित्य नहीं रहा है। अत: पत्रावली खारिज की जाती है। पत्रावली नियमित शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो व दर्ज नंबर से कम हो एवं अलग वाद के सम्मिलित हो। सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

2024/17

प्रेजेन्टेशन
5-10-24

न्यायालय :—सहायक कलेक्टर—शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज0)

प्रार्थना पत्र सं0—....../2024

बिमला देवी पत्नि बंशीधर जाट, जाति जाट, निवासी शिवसिंहपुरा, तहसील—शाहपुरा, जिला जयपुर ग्रामीण (राज0)

—प्रार्थीया

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र बिरदू
2. पोखर पुत्र नारायण
3. रूडाराम पुत्र छोटू
4. हरिशंकर पुत्र छोटू

समस्त जाति जाट निवासी शिवसिंहपुरा, तहसील—शाहपुरा, जिला जयपुर ग्रामीण (राज0)

5. बनवारी लाल पुत्र रामेश्वर प्रसाद, जाति जाट, निवासी पी—27 बी, अलकापुरी स्कीम जयपुर (राज0)
6. राजस्थान सरकार (भुधारक) जरिये तहसीलदार तहसील—शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज0)
7. उपपंजीयक उपपंजीयन कार्यालय अमरसर उपतहसील अमरसर, तहसील—शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज0)

—अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा—212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955</u>

महोदय,

प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मयशपथ पत्र निम्न प्रकार पेश है:—

अ. नि. बिमलादेवी

(1) [illegible]
(2) [illegible]
(3) [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

1. यहकि वादीया / प्रार्थीया ने उपरोक्त उनवानी वाद पत्र आज न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है जिसमें वादीया / प्रार्थीया को सफलता मिलने की पूर्ण आशा है।

2. यहकि हाल आराजी खाता सं0–90 के हाल आराजी खसरा नं0–524 / 0.68 है0 कुल किता–1 रकबा 0.68 है0 वाकै ग्राम शिवसिंहपुरा, पटवार हल्का जगतपुरा, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है। जिसकी वर्तमान में खातेदारी में प्रार्थीया का 211 / 1133 हिस्सा तथा शेष हिस्सा अप्रार्थीगण के नाम दर्जे राजस्व रिकार्ड है। हाल जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है।

3. यहकि प्रार्थना पत्र के खण्ड सं0–1 में वर्णित वाद ग्रस्त भूमिया है जिन्हे प्रार्थना पत्र के आगे के पैराज में वाद अधीन मुतवादिया कहा गया है।

4. यहकि प्रार्थना पत्र के जिमन नं0–1 में वर्णित भूमि हाल आराजी खाता सं0–90 के हाल आराजी खसरा नं0–524 / 0.68 है0 कुल किता–1 रकबा 0.68 है0 वाकै ग्राम शिवसिंहपुरा, पटवार हल्का जगतपुरा, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर में हिस्सा 211 / 1133 प्रार्थीया की खरीदशुदा भूमि है तथा प्रार्थीया खरीद के समय से ही अपनी खरीदशुदा भूमि पर काबिज रहकर काश्त व उपयोग उपभोग करती है प्रार्थीया ने अपनी खरीदशुदा भूमि पर स्वंय की धनराशि खर्च कर उसे विकसित किया है। प्रार्थीया की खरीदशुदा भूमि से अप्रार्थीगण या अन्य किसी व्यक्ति का कोई सम्बन्ध वास्ता नहीं है।

5. यहकि प्रार्थना पत्र के जिमन नं0–1 में वर्णित भूमि का प्रार्थीया व अप्रार्थीगण के मध्य आज तक कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है। इस कारण अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थीया के कब्जे काश्त में दखल अंदाजी पैदा करते है तथा प्रार्थीया के हिस्से में जबरिया लठ के बल पर कब्जा करने की फिराक में है जिसके चले आये दिन अप्रार्थीगण सीव, डोल, विशिष्ट भु–भाग पर कब्जा करने व जबरन रास्ता निकालने हेतु प्रार्थीया को

अ. नि. बिमला देवी

हैरान व परेशान करते है तथा प्रार्थीया को उसके हिस्से की भूमि से बेदखल करने की धमकी देते है जिस कारण अब [illegible] से काश्त करना कतई संभव नहीं रहा है।

6. यहकि अर्सा–5 दिवस पूर्व प्रार्थीया अपने हिस्से की भूमि पर काश्त की तैयारी हेतु भूमि की देखभाल कर रही थी कि अचानक अप्रार्थीगण वाद अधीन मुतवादिया में जबरन घुस आये तथा आते ही प्रार्थीया के साथ आमादा फिसाद हो गये तथा उपयोग उपभोग करने में बेजा मदाखलत पैदा करने लगे तो प्रार्थीया द्वारा हाय हल्ला करने पर आस पास के काश्तकार ओर एकत्रित हो गये तो अप्रार्थीगण से समझाईश की गयी तथा प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण से कानूनी बंटवारा करवाने का निवेदन किया परन्तु अप्रार्थीगण ने कानूनी बंटवारे हेतु स्पष्ट रुप से मना कर दिया व अप्रार्थीगण ने प्रार्थीया को खुले में चेतावनी दी कि हम किसी कदर वाद अधीन मुतवादिया का कानूनी बंटवारा नहीं होने देगे जबकि जबरन प्रार्थीया के हिस्से कब्जे काश्त की भूमि मे से पुख्ता रास्ता बनाकर वाद अधीन मुतवादिया को खुर्द बुर्द करके रहेगे तथा विशिष्ट भु–भाग को बेचान करके रहेगे एवं वादीगण को एक इंच भूमि पर भी काश्त नहीं करने देगे। जबकि कब्जा वे स्वंय करने को आमदा है जिस कारण प्रार्थीया को अपने विधिक अधिकारो की सुरक्षार्थ प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी हुआ है।

7. यहकि अप्रार्थीगण किसी कदर अपने अवैध मंसूबो में सफल हो गये और उन्होने वादी को उसकी कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल कर दिया व उक्त भूमि का कानूनी बंटवारा नहीं होने या वादी की कब्जेशुदा भूमि पर कब्जा कर लिया तो वादीगण को इससे नाकाबिले तलाफी होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी धनराशि में नहीं की जा सकेगी तथा पक्षकारान में अनावश्यक मुकदमें बाजी बढेगी तथा वादीगण को अकथनीय हानि होगी

विमला देवी

जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी धनराशि से नहीं की जा सकेगी तथा पक्षकारान में अनावश्यक मुकदमे बाजी बढ़ेगी।

8. यहकि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत विवरण शपथ पत्र एवं दस्तावेजात से प्रार्थीया का पक्ष प्रथम दृष्टया में बलवान है व सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय हानि का बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष में है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार कर अप्रार्थीगण व उनके नौकर, एजेन्ट, प्रतिनिधि, स्थानापन्न, वारिसान आदि को ताफैसला मूलवाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे प्रार्थना पत्र के खण्ड सं0–2 में वर्णित हाल आराजी खाता सं0–90 के हाल आराजी खसरा नं0–524/0.68 है0 कुल किता–1 रकबा 0.68 है0 वाकै ग्राम शिवसिंहपुरा, पटवार हल्का जगतपुरा, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर में प्रार्थीया के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करे प्रार्थीया को उसके हिस्से की भूमि का शांति पूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे। प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा को अन्य दीगर व्यक्ति को रहन बय हस्तान्तरण नहीं करे, आराजी मुतनाजा के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखे।

दिनांक 24/05/2021

प्रार्थीया

स्थान–शाहपुरा,जयपुर।

विमला देवी पत्नि वंशीधर जाट, जाति जाट, निवासी शिवसिंहपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर ग्रामीण (राज0)

जरिये अधिवक्ता

पुरेन्द्र सिंह शेखावत (एडवाकेट)

विमलादेवी

न्यायालय :–सहायक कलेक्टर–शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज0)

राजस्व वाद सं0–....... / 2024

विमला देवी बनाम ओमप्रकाश वगै0

प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र

मैं विमला देवी पत्नि बंशीधर जाट, जाति जाट, निवासी शिवसिंहपुरा, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर ग्रामीण (राज0) का रहने वाला हूँ जो कि सशपथ बयान करता हूँ कि :–

1. यहकि उपरोक्त प्रार्थना पत्र को मैनें अच्छी तरह से पढ सुन व समझ लिया है। जिसके विवरण मे मैं परिचित हूँ।
2. यहकि प्रार्थना पत्र के तथ्य सही है, मैनें इसमें कुछ छिपाया नहीं है। ना ही कोई तथ्य मिथ्या अंकित किया है।
3. यहकि उक्त शपथ पत्र को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जावे।

दिनांक 24/05/2024 ह0 शपथग्रहिता

अ. नि. विमला

।।सत्यापन।।

मैं उपरोक्त शपथ ग्रहिता मजमून शपथ पत्र में वर्णित तथ्यो को अपने निजी ज्ञान व विश्वास के अनुसार सही एवं सत्य स्वीकार करता हूँ भगवान मेरा साक्षी है।

दिनांक :– 24/05/2024 ह0 शपथ ग्रहिता

...gned before

24/5/24

...AIR COMMISSIONER

अ. नि. विमला देवी